

राजस्थान सरकार  
राजस्व विभाग

15

प्रेषित- सगस्त जिला कलेक्टर ।

क्रमांक-प- 6830/राज-6/2003/3


जयपुर, दिनांक- 31.1.2003

"परिपत्र"

विषय- राजस्थान भू-राजस्व विभागाध्यक्ष, पेट्रोलपम्प या चिकित्सा सुविधा स्थापित करने हेतु कृषि भूमि का आर्बेन तथा नियमन नियम - 1978 के तहत लीज नवीनीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत ।

जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा पेट्रोल पम्प हेतु लीज नवीनीकरण एवं बढ़ी हुई दरों लागू करने के संबंध में मांगदर्शन वाहा गया है । अतः उपरोक्त विषय में निदेशानुसार निम्नवत् स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :-

राजस्थान भू-राजस्व विभागाध्यक्ष, पेट्रोलपम्प या चिकित्सा सुविधा स्थापित करने हेतु कृषि भूमि का आर्बेन तथा नियमन नियम- 1978 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प- 6831/राज-4/87/49 दिनांक 21.11.1987 द्वारा पट्टा किराये में वृद्धि की गयी है । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 21.11.87 द्वारा प्रदत्त गयी दरों भूत लक्ष्मी प्रभाव से लागू नहीं होगी । उक्त बढ़ी हुई दरें दिनांक 21.11.87 से ही लागू होंगी । साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लीज-नवीनीकरण के समस्त मामलों में नवीनीकरण उक्त बढ़ी हुई दरों में नियमानुसार 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर ही लीज नवीनीकरण किया जावेगा ।

  
उप शासन सचिव

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव/राजस्व विभाग
2. शिक्षण सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्व
3. सगस्त सहायक आयुक्त, राजस्थान
4. निदेशक, राजस्व मण्डल अजमेर
5. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर
6. निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कम्प्यूटर्स विभाग
7. निदेशक राज्य केन्द्रीय मद्र्यालय राज, जयपुर
8. "परिपत्र" राजस्व मण्डल, अजमेर
9. राजस्व मण्डल, अजमेर
10. उप शासन सचिव, राजस्व विभाग
11. शिक्षण सहायकी

अतिरिक्त निदेशक  
राजस्व विभाग